## उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय—लखनऊ।

परिपत्र सं0—सी— 19/तक0प्रकोष्ठ/2017—18 दिनांक—04.05.2017

**समस्त प्रबन्धक श्रेणी—1 व 2**
**उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,**
**उत्तर प्रदेश।**

**विषयः— औद्यानिक योजनान्तर्गत ऋण वितरण की प्रक्रिया।**

बैंक द्वारा विभिन्न औद्यानिक फसलों के अन्तर्गत समय—समय पर ऋण वितरण प्रक्रिया के विषय में परिपत्र जारी करते हुये ऋण वितरण करने के निर्देश प्रेषित किये गये है। उक्त के क्रम में नवीन इकाई लागत के अनुसार पुनः निम्नवत निर्देश प्रेषित हैः—

**ऋण वितरण प्रक्रियाः—**

**1. लाभार्थियों का चयनः—**

इस योजना में ऋण लेने वाले व्यक्तियों का चयन उद्यान विभाग में उद्यान निरीक्षक/बैंक का फील्ड स्टाफ तथा अन्य विकास एजेंसी करेगी। लाभार्थियों के चयन के पश्चात निर्धारित ऋण प्रार्थना पत्र (भूमि बैंक—4) लाभार्थियों से विधिवत पूर्ण कराकर बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर टेकनिकल एवं आर्थिक अप्रेजल रिपोर्ट बैंक का फील्ड स्टाफ या उद्यान विभाग व अन्य विकास एजेंसीज के निरीक्षेकों/अधिकारियों द्वारा पूर्ण कराकर बैंक की शाखा में ऋण स्वीकृति एवं वितरण हेतु प्रस्तुत करेंगे। प्रार्थना पत्र जमा करते समय मुख्य प्रार्थी तथा सहभागीदार लघु एवं सीमान्त तथा अन्य कृषकों से बैंक के वर्तमान नियमों के अनुसार अंशधन एवं प्रवेश शुल्क लिया जायेगा।

**2. प्रतिभूतिः—**

इस योजनान्तर्गत लाभार्थियों से ऋण राशि के दो गुने मूल्य की भार रहित कृषि भूमि बंधक की जायेगी। लाभार्थी के पास कम से कम 2.5 एकड़ निजी भूमि हो जिसमें बाग हेतु प्रस्तावित भूमि एवं अन्य भूमि को बैंक के पक्ष में बंधक रखकर ऋण दिया जायेगा।

**3. इकाई लागतः—**

**नाबार्ड द्वारा वर्ष 2016—17 हेतु जारी इकाई लागत पर निर्धारित**

| क्रम सं0 | विवरण | यूनिट | वर्षवार लागत | | | | | | इकाई लागत | भुग. अव. | ग्रेसपीरियड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | कुल | | | |
| 1. | आम | 1 हे0 | 28600 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 47960 | 47960 | 9 | 5 |
| 2. | आम कम दूरी | 1 हे0 | 48000 | 16000 | 16000 | 8600 | 8600 | 97200 | 97200 | 9 | 5 |
| 3 | अमरूद्व | 1 हे0 | 28600 | 3740 | 3630 | 3300 | | 39270 | 39270 | 9 | 4 |
| 4 | अमरूद्व कम दूरी | 1 हे0 | 37700 | 12500 | 12500 | 3300 | | 66000 | 66000 | 9 | 4 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | आंवला | 1 हे0 | 26180 | 3740 | 3630 | 3520 | 3300 | 40370 | 40370 | 9 | 5 |
| 6 | पपीता | 1 हे0 | 47520 | | | | | 47520 | 47520 | 3 | 1 |
| 7 | केला टिशू कल्चर | 1 हे0 | 62400 | 20800 | | | | 83200 | 83200 | 3 | 1 |
| 8 | नींबू वर्गीय | 1 हे0 | 29260 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 41580 | 41580 | 9 | 5 |
| 9 | आम जीर्णोद्वार | 1 हे0 | 34100 | 4840 | 4840 | | | 43780 | 43780 | 8 | 3 |
| 10 | बेर | 1 हे0 | 21560 | 3740 | 3520 | 3300 | | 32120 | 32120 | 9 | 4 |
| 11 | लीची | 1 हे0 | 28600 | 3740 | 3630 | 3300 | | 39270 | 39270 | 9 | 4 |
| 12 | बहुवर्षीय सबजियां | 1 हे0 | 41800 | | | | | 41800 | 41800 | 3 | 4 |

**4. ऋण वितरणः—**

लाभार्थियों को ऋण वितरण करते समय अनुमन्य डाउन पेमेंट मार्जिन मनी की राशि का समायोजन करते हुए  किश्तों में भुगतान किया जायेगाः—

1. **प्रथम किश्तः—** उपरोक्त तालिका में निर्धारित इकाई लागत के अनुसार प्रथम वर्ष प्रथम किश्त में भुगतान पौधरोपण सामग्री, खाद, पौध सुरक्षा, भूमि की तैयारी, गड्डों की खुदाई एवं कटाई, सिंचाई, कटाई, छटाई, ग्रीन फैसिंग के लिए दी जायेगी। उद्यान में लगाये जाने वाले, पौधों की खरीद उद्यान विभाग की पौधशालाओं से की जायेगी जहां उद्यान विभाग की पौधशालायें नहीं हैं वहां पर उनके द्वारा पंजीकृत एवं अनुमोदित पौधशालाओं से पौध सामग्री क्रय की जायेगी तथा यह भी ध्यान में रखा जायेगा कि पौध रोग एवं व्याधि से मुक्त हों पौध का मूल्य, उद्यान विभाग/पंजीकृत नर्सरी को तथा शेष धनराशि लाभार्थी को एकाउण्टपेयी चेक द्वारा प्रदान की जायेगी।

2. **द्वितीय किश्तः—**

   लाभार्थियों को द्वितीय वर्ष अगली किश्त का भुगतान प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर अधिकृत अधिकारी (फील्ड आफिसर/उद्यान विभाग के अधिकारी) के द्वारा उपलब्ध कराने के पश्चात पौध रोपण, खाद, पौध सुरक्षा, सिंचाई, कटाई, छटाई एवं विविध व्यय हेतु उपरोक्त तालिका में वर्णित द्वितीय वर्ष में दी जाने वाली राशि के अनुसार एकाउण्टपेयी चेक द्वारा लाभार्थी को देय होगी।

3. **तृतीय किश्तः**

   तीसरे वर्ष लाभार्थी को द्वितीय किश्त का सदुपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात रख रखाव हेतु धनराशि उपरोक्त तालिका में वर्णित तृतीय वर्ष में दी जाने वाली राशि के अनुसार एकाउण्टपेयी चेक द्वारा लाभार्थी कोउ निर्गत की जायेगी।

4. **चतुर्थ किश्तः**

   चौथे वर्ष लाभार्थी को तृतीय किश्त का सदुपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात अवशेष धनराशि एकाउण्टपेयी चेक द्वारा निर्गत की जायेगी।

प्रत्येक किश्त के जारी होने के एक माह के अंदर बैंक के फील्ड आफिसर/शाखा प्रबन्धक ऋण का सत्यापन करके सत्यापन प्रमाण पत्र कृषक के ऋण पत्रावली में लगायेगें।

उद्यान रोपण का कार्य मैदानी क्षेत्र में मुख्यतयः जुलाई से अक्टूबर तथा सिंचित क्षेत्र में फरवरी में भी वृक्षारोपण करते हैं। अतः प्रथम किश्त का भुगतान पौधरोपण से कम से कम एक माह पूर्व किया जाना चाहिए।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।

**ह0/–**
**( श्रीकान्त गोस्वामी )**
**प्रबन्ध निदेशक**

<u>**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**</u>

1. समस्त जनपदीय प्रबन्धकों को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र की प्रति अपने जनपद की समस्त शाखा प्रबन्धकों को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. उप महाप्रबन्धक(आई0टी0सेल),उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को बैंक की समस्त जनपदीय शाखाओं को ई–मेल द्वारा प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।
3. समस्त अधिकारीगण,उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ।
4. निदेशक उद्यान, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, 2 सप्रू मार्ग, लखनऊ।

**ह0/–**
**( अजय पाल सिंह )**
**महाप्रबन्धक(तक0)**